

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021-22 हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.11.2021 को निम्नांकित सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के अन्तर्गत सीसीए-16 में अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के फलस्वरूप इनका चयन बन्द लिफाफे में रखा गया था।

निम्नांकित कार्मिकों के विरुद्ध चल रही उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही को संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, पाली/भरतपुर ने आदेश क्रमांक 2868/3707 दिनांक 16.08.2022, 03.10.2022 द्वारा समाप्त किये जाने के फलस्वरूप निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/डीपीसी मंत्रा. कर्म/अ.प्र.अधि./2021-22/175 व 183 दिनांक 29.09.2022 तथा 10.10.2022 के द्वारा चयन वर्ष 2021-22 में लिफाफा खोला जाकर इनका चयन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर किया गया है।

उक्त आदेशों की पालना में निम्नांकित सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर एल-11 में पदोन्नत किया जाकर इनका पदस्थापन कॉलम संख्या सात (7) में अंकित कार्यालय/विधालय में किया जाता है। पदोन्नत कार्मिकों पदोन्नति पर नव नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक 28.10.2022 तक कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वतः ही पदोन्नति परित्याग माना जावेगा।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष, इनके कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति का इन्द्रार्ज शालादर्पण पर आवश्यक रूप से करें। पदोन्नत कार्मिकों द्वारा पदोन्नति परित्याग करने की स्थिति में सम्बन्धित कार्याध्यक्ष इनसे लिखित में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। एवं पदोन्नति परित्याग का इन्द्रार्ज लाल स्याही से कार्मिक की सेवा पुस्तिका में करें।

क्र स 1	वरिष्ठता क्रमांक व वर्ष 2	नाम 3	वर्ग 4	जन्मतिथि 5	वर्तमान पदस्थापन स्थान 6	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान 7	चयन तिथि 8
1	666/14-1 5	दिलीप कुमार दवे	सामान्य	06-02-1968	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भीनमाल, जिला-जालौर	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भीनमाल, जिला-जालौर	01-04-2021
2	748/14-1 5	रघुवीर शरण गुप्ता	सामान्य	01-06-1964	राउमावि. टोडाभीम, जिला-करौली	राउमावि. टोडाभीम, जिला-करौली	01-02-2022

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 8.4.2003 के प्रावधानानुसार दिनांक 1.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने का शपथपत्र स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।

सत्यमेव जयते




(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर
दिनांक- 18/10/2022

क्रमांक-शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/पदस्थापन/अ.प्र.अ./2022/10
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग, भरतपुर/सिरोही।
- 2- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीनमाल, जालौर/टोडाभीम, करौली।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जालौर/करौली।
- 4- अनुभाग अधिकारी, डीपीसी अनुभाग।
- 5- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 6- सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित अधिकारी।
- 7- गार्ड पंजिका



उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर